आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
04/08/2021	**न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **बन्दोबस्त अपील वाद 17/2021तथा 18/2021** **श्रीमती उषा सहाय बनाम् बुधु मुण्डा एवं बाबूलाल नायक** **बन्दोबस्त अपील वाद 19/2021** **कुमार राज सिन्हा बनाम् पुश्वा लोहार** **आदेश** बन्दोबस्त अपील 17/2021 तथा 18/2021 श्रीमती उषा सहाय के द्वारा क्रमशः बुधू मुण्डा एवं बाबूलाल नायक के विरूद्ध दायर किये गये। सेटेलमेन्ट अपील क्रमांक 19/2021 कुमार राज सिन्हा के द्वारा पुश्वा लोहार के विरूद्ध दायर किये गये। तीनों वाद बन्दोबस्त पदाधिकारी, रांची के द्वारा वाद संख्या 2/2020 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर है तथा एक ही अधिवक्ता द्वारा तीनों वादों में पैरवी की गई है। अतः तीनों वादों की सुनवाई एक साथ की गई थी। बन्दोबस्त पदाधिकारी का आदेश दिनांक 18.04.2020 को पारित किया गया है। जबकि इस न्यायालय में अपील 23.03.2021 को दायर की गई। इस विलम्ब के लिए लॉकडाउन होने के आधार दिया गया है। विचारणीय है कि सभी प्रकार के लॉकडाउन जुलाई 2020 तक समाप्त हो गई थी तथा न्यायालय का कार्य भी जारी था इसके पश्चात भी 23.03.2021 को अपील दायर की गई जो स्पष्टतः कालबाधित है। दिनांक 28.06.2021 को वाद अंगीकृत करने के विन्दु पर सुनवाई की गई। बन्दोबस्त पदाधिकारी के समक्ष 21.03.2020 को सुनवाई हेतु वाद उपस्थापित किया गया। जिसके पश्चात् 18.04.2020 को यह स्पष्ट हुआ कि अनगड़ा अंचल का सभी अभिलेख अंतिम प्रकासन के पश्चात अभिलेखाकार में जमा हो चुका है। धारा 89 के तहत् आपत्ति दायर करने की समय सीमा काफी पहले ही समाप्त हो चुकी है। अतः बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा आपत्ति आवेदन को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह तीन अपील दायर की गई है। आवेदकों के तरफ से दायर कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की कायमी भूमि है तथा खतियान में उक्त भूमि के ''विक्रय हेतु नही होने'' को स्पष्ट उल्लेख है। आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूमि जाकियुररहमान से दिनांक 04.05.2012 को एक एकड़,	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	दिनांक 26.03.2012 को एक एकड़ तथा 06.05.2013 को 2 एकड़ क्रय किया गया है। उक्त जाकियुररहमान द्वारा कुल 12.78 एकड़ भूमि का Power of attorney खलिउल रहमान को 13.03.2012 को दिया गया है। यह भी विचारणीय है कि तीनों विक्रय पत्र प्लाट न 2023 से संबंधित है। किंतु बिक्री का मूल्य क्रमश 1.76 लाख, 4.01 लाख एक एकड़ के लिए तथा 7.87 लाख 2 एकड़ के लिए उल्लेखित किया गया है। जबकि सभी विक्रय पत्र मात्र 2 माह के अन्तराल में निबंधित है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिक्रेताओं के द्वारा आदिवासी कायमी खाते की भूमि आवेदकों को बिक्री कर दी गई। बण्डा पर्चा में विपक्षियों के नाम से ही तैयार हुआ क्योंकि वे उक्त समय प्रश्नगत भूमि के दखलदार होंगे। यह भी विचारणीय है कि 2012 में क्रय के पश्चात प्रश्नगत भूमि का नामांतरण/लगान निर्धारण आवेदकों के द्वारा अभी तक नही किया गया है। सीधे 2020 में आवेदकों के द्वारा धारा 89 के प्रावधान के तहत खतियान में संसोधन का प्रस्ताव बन्दोबस्त पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे विलम्ब के कारण बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया। इस न्यायालय में भी आवेदकों के द्वारा विलम्ब से आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके लिए कोई तार्किक कारण नही प्रस्तुत किया गया है। आवेदकों के तरफ से ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत नही किये गये जिससे प्रश्नगत भूमि पर उनके अधिकारों की पुष्टि होती हो। वर्णित परिस्थिति में इन तीनों अपील को अंगीकृत किये जाने कोई औचित्य नही है। अतः सेटेलमेन्ट अपील 17/2021,18/2021 एवं 19/2021 खारिज किये जाते है।। आयुक्त लेखापित एवं संशोधित। आयुक्त	

Digitally signed by MUTHUKUMAR ALAGUMUTHU
Date: 2022.11.16 11:48:14 +05:30
Location: 10.93.72.187